

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर ।

सेवा में,

प्रबन्धक

नवल्स नेशनल एकाडेमी

सहजनवा, गोरखपुर

पत्रांक: मान्यता /

विषय: अशासकीय यू0मा0वि0 (कक्षा-01 से 08 तक) की अंग्रेजी माध्यम स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के
संबंध में।

दिनांक : 30 जून 2017

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको प्रार्थना पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेशानुसार मान्यता की नयी नियमावली के संदर्भ में निम्न प्राविधान है:- “प्रथमदया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।”

उक्त क्रम में आपके विद्यालय की जाँच खण्ड शिक्षा अधिकार, भाटपाररानी से करायी गयी जाँचोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने पर आपको कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रदत्त अस्थायी मान्यता संख्याख/ निरीक्षण/1106/2014-15 दिनांक 31, मई 2014 के क्रम में आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय के रूप में अधिकृत किया जाता है।

भवदीय

(रमा शंकर ओझा)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गोरखपुर ।

पृ0सं0/मान्यता/

/2019-20

तददिनांकित।

प्रतिलिपि: खण्ड शिक्षा अधिकारी देवरिया को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला- गोरखपुर, उ0प्र0)

संख्यांक/निरीक्षण/

1106

/2014-15

तारीख 31/05/2014

प्रबन्धक,

नवल्स नेशनल एकेडमी

सहजनवी, गोरखपुर

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

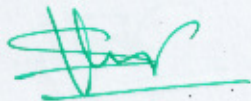
आपके तारीख 22.08.2013 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्तवर्ती पत्राज्ञा/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं नवल्स नेशनल एकेडमी सहजनवी, गोरखपुर को तारीख 01.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जून्हाउस्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाएँ तथा एक से आठ तक की कक्षाएँ) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अन्ततिम, मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त, मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्रदान करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

परितोष प्रीजा

- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकश्चित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकश्चित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकश्चित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं भिन्नानुसार है।
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 18700 वर्गफीट
कुल निर्मित क्षेत्र - 2870 वर्गफीट
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - 6600 वर्गफीट
कक्षाओं की संख्या - 10 उपलब्ध है।
प्राध्यापक-सह- कार्यालय-सह- भंडागार के लिए कक्ष- उपलब्ध है।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा - बोरिंग नल, उपलब्ध है।
मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई- उपलब्ध
वाधारहित पहुँच - उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता - उपलब्ध है।
 9. विद्यालय के कक्षाएं के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर- मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।




परितोष त्रिपाठी

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक C/50/2014 है कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों) नियमावली 1978 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
18. मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते हैं अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण-पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाएँ संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण-पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(राम सागर पाति त्रिपाठी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

परितोष त्रिपाठी